5. ब्रांड निर्माण समर्थन

किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए ब्रांड निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ब्रांड निर्माण प्रत्यक्ष विज्ञापन अभियानों या प्रायोजकता के ज़रिए कंपनी की सेवाओं के बारे में जागरूकता सृजित करना और संवर्धन करने की प्रक्रिया है। ब्रांड निर्माण रणनीतियाँ उपभोक्ताओं को ब्रांड के करीब लाती हैं और उनको मान प्रदान करता है ताकि वे ब्रांड को जान सकें, महसूस कर सकें और अनुभव कर सकें।

<u>पात्र संगठन:</u>

योजना के अंतर्गत योग्य विनिर्माण संगठनों में सरकारी संगठन, स्वायत्त संगठन, सहकारिताएं, नारियल उत्पादक कंपनियाँ, स्वामित्व कंपनियाँ, साझेदारी कंपनियाँ और निजी लिमिटेड कंपनियाँ आदि हो सकती हैं।

बाज़ार संवर्धन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उन उत्पादों/कंपनियों के लिए सीमित है जो बीआईएस/एगमार्क/एचएसीसीपी/आईएसओ आदि (जो भी लागू हो) जैसे संगत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हो। योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए मात्र वे उत्पाद पात्र हैं जो अनुमोदित गुणवत्ता मानदंड और निधानी आयु युक्त हों।

<u>सहायता की मात्रा</u>

संगठन का प्रकार	सहायता
सरकारी /सहकारी संस्थाओं के लिए	अधिकतम 25.00 लाख रुपए तक सीमित या परियोजना लागत का 100 प्रतिशत जो भी कम हो
अन्य कंपनियों/संगठनों के लिए	अधिकतम 7.50 लाख रुपए तक सीमित या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो

योजना के अंतर्गत पात्र ब्रांड संवर्धन गतिविधियों के लिए उपगत खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।

<u>योजना संघटक:</u>

क. डिजिटल विपणन के ज़रिए ब्रांड का प्रचार:

इस संघटक के अंतर्गत, विनिर्माण इकाइयों द्वारा इलेक्ट्रोनिक मीडिया के ज़रिए उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु की जाने वाली गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है।

इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल संघटक हैं ;

- वेबसाइट का विकास
- बार कोडिंग
- आरएफआईडी
- ऑनलाइन विज्ञापन
- क्यूआर कोड विपणन
- सर्च इंजन अनुकूलन
- ईमेल/एसएमएस/सोशियल मीडिया विपणन

इस संघटक के अंतर्गत पात्र सहायता की प्रतिपूर्ति हेतु दावे के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करना चाहिए

1. प्रतिस्पर्द्धी बोलियाँ लगाने की (बिडिंग) प्रक्रिया के ज़रिए एजेंसी के चयन हेतु प्रमाण
2. कार्य के लिए चयनित एजेंसी द्वारा प्रस्तुत कोटेशनों की प्रतिलिपि
3. एजेंसी को ज़ारी किया गया कार्य आदेश
4. एजेंसी के वास्तविक बिल
5. एजेंसी को किए गए भुगतान का प्रमाण

डिजिटल मार्केटिंग उप संघटक के अंतर्गत अधिकतम सहायता **ब्रांड संवर्धन** संघटक कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम पात्र सहायता के 50 प्रतिशत तक सीमित होगा।

ख. <u>जनसंपर्क माध्यमों (मास मीडिया) के ज़रिए ब्रांड का प्रचार:</u>

इस संघटक के अंतर्गत, विनिर्माण इकाइयों द्वारा जनसंपर्क माध्यमों के ज़रिए उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु उठाई जा रही गतिविधियों के लिए समर्थन दिया जाता है।

इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल संघटक हैं:

- समाचारपत्र, मैगज़ीन, पत्रिकाएं आदि जैसे प्रिंट मीडिया
- दूरदर्शन विज्ञापन
- रेडियो विज्ञापन
- रेलवे घोषणा

उपर्युक्त गतिविधियों के लिए, प्रतिपूर्ति की स्वीकार्य दर डीएवीपी दरों पर सीमित होगी। पात्र सहायता की प्रतिपूर्ति के लिए दावे के साथ एजेंसी का वास्तविक बिल और एजेंसी को किए गए भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। **जनसंपर्क माध्यमों (मास मीडिया) के ज़रिए ब्रांड प्रचार** उप संघटक के अंतर्गत अधिकतम वित्तीय सहायता **ब्रांड संवर्धन** संघटक कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र अधिकतम वित्तीय सहायता का 50 प्रतिशत तक सीमित है।

ग. <u>प्रचार सामग्रियों के मुद्रण हेतु सहायता:</u>

इस संघटक के अंतर्गत, विनिर्माताओं द्वारा प्रचार सामग्रियों के मुद्रण के ज़रिए की जा रही बाज़ार संवर्धन गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है।

इसके अंतर्गत शामिल संघटक हैं:

1. लीफलेट
2. ब्रोशर
3. पाम्फ्लेट
4. पोस्टर, समाचारपत्र में निविष्टियाँ, मैगज़ीन अनुबंध (पुल-अउट्स) आदि
5. उत्पाद निदर्शन/प्रदर्शन
6. अन्य पी-ओ-पी सामग्रियाँ (डैंगलेर्स, प्रदर्शन सामग्रियाँ)

एजेंसी का चयन प्रतिस्पर्द्धी बोलियाँ लगाने की (बिडिंग) प्रक्रिया के ज़रिए किया जाना होगा। इस संघटक के अंतर्गत पात्र वित्तीय सहायता की प्रतिपूर्ति हेतु दावे के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करना चाहिए।

1. कार्य के लिए चयनित एजेंसी द्वारा प्रस्तुत कोटेशनों की प्रतिलिपि
2. एजेंसी को जारी किया गया कार्य आदेश
3. एजेंसी के वास्तविक बिल
4. एजेंसी को किए गए भुगतान का प्रमाण

प्रचार सामग्रियों का मुद्रण उप संघटक के अंतर्गत अधिकतम सहायता **ब्रांड संवर्धन** संघटक कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम पात्र सहायता के 50 प्रतिशत तक सीमित होगा।

घ. <u>आउटडोर विज्ञापन हेतु सहायता:</u>

इसके अंतर्गत, निम्नलिखित संघटकों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी

1. होर्डिंग (प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक)
2. बिलबोर्ड
3. बस/ट्रैम पैनल विज्ञापन
4. चल होर्डिंग

एजेंसी का चयन प्रतिस्पर्द्धी बोलियाँ लगाने की (बिडिंग) प्रक्रिया के ज़रिए किया जाना होगा। इस संघटक के अंतर्गत पात्र वित्तीय सहायता की प्रतिपूर्ति हेतु दावे के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करना चाहिए।

1. कार्य के लिए चयनित एजेंसी द्वारा प्रस्तुत कोटेशनों की प्रतिलिपि
2. एजेंसी को जारी किया गया कार्य आदेश
3. एजेंसी के वास्तविक बिल
4. एजेंसी को किए गए भुगतान का प्रमाण

आउटडोर विज्ञापन हेतु सहायता उप संघटक के अंतर्गत अधिकतम सहायता **ब्रांड संवर्धन** संघटक कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम पात्र सहायता के 50 प्रतिशत तक सीमित होगा।